प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 18.08.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

□ थाना बलुआ व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा 06 सक्रिय शातिर छिनैती करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

□गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती की गई पिकअप, छिनैती में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर व गोवध हेतु तस्करी में पासर के रूप में प्रयुक्त की जानें वाली स्कार्पियो बरामद

□ घटना के सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा 20,000 रूपये नकदी से पुरूस्कृत करने की घोषणा गई

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, डॉ. ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बलुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/24 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वाहन संख्या UP65PT3472 को बरामद तीन गाय को गो शाला ले जाते समय अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गोशाला कर्मी व पीआरडी कर्मी को मारपीट कर पिकअप वाहन मय तीन गोवंश को लूटनें की घटना कारित करनें के सम्बन्ध में दिनांक 15.08.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 133/24 धारा 221, 132, 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम नि0 अमौली थाना चौबेपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव नि0 पिछवारी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष 3. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव नि0 जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष 4. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता नि0 कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष 5. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष 6. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष के कब्जे से मु0अ0सं0- 133/24 में लूटी गयी पिकअप वाहन सं0- UP65PT3472 व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर वाहन संख्या UP65EN2526 व एक स्कार्पियो वाहन सं0- UP65EE8555 व 06 एंड्रायड मोबाइल व 01 कीपैड मोबाइल, 02 एसबीआई एटीएम कार्ड व 01 ग्रीन कार्ड के साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 221/132 परिवर्तित धारा 310(2) व बढोत्तरी धारा 317, 61(2) बीएनएस में आज दिनांक 18.08.2024 को प्रातः 4.40 बजे बलुआ

तिराहा ग्राम सराय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण घटनाः– दिनांक 14/8/2024 को मु0अ0सं0- 131/2024 धारा 3/5A/8/5 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 तथा 4/25 आयुध अधि0 में बरामद 09 राशि गोवंश व दो वाहन क्रमशः टाटा ऐश गोल्ड वाहन सं0 UP65KT7612 व बोलेरो पिकअप वाहन सं UP65 PT 3472 के साथ 02 अभियुक्तगण 1.अखिलेश यादव पुत्र जयनाथ यादव नि0 चिटको थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2.दिवाकर कनौजिया पुत्र बाबूनाथ कनौजिया नि0 सिटकी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को टेढ़ी पुलिया ग्राम सराय से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। थानें में दाखिल 09 राशि गोवंश की चारापानी की समुचित व्यवस्था न होनें के कारण पशुओं को नियमानुसार दाखिल करने हेतु थाना बलुआ अन्तर्गत पडने वाले गो आश्रम गृह स्वामी से वार्ता की गयी। गो आश्रम संचालक द्वारा पशुओ को पपौरा गृह आश्रम (पशु/गौ) तक ले जाने हेतु समुचित वाहन का इन्तजाम न हो पाने पर थाना हाजा के हे0मु0 से वार्ता कर वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर हे0मु0 द्वारा वाहन की तलाश की गयी परन्तु समुचित वाहन न मिल पाने पर पशुओ को भूखा प्यासा देख बरामद वाहन बोलेरो पिकप वाहन संख्या UP65PT3472 से ही गो आश्रम से आये तीन व्यक्ति व थाना बलुआ के पीआरडी प्यारे लाल के साथ तीन राशि गोवंश को गोशाला मे दाखिल करने हेतु भेजा गया। जहा रास्ते मे मथेला पुल के सामने 9-10 अज्ञात लोगों द्वारा एक दो पहिया वाहन व एक चार पहिया वाहन से आकर गोशाला ले जाये जा रहे (03) राशि गोवंश सहित माल मुकदमाती पिकप वाहन सं0- UP65PT3472 से गोशाला के कर्मचारी व PRD उपरोक्त को वाहन से बलपूर्वक मारपीट कर उताकर समय करीब 21.45 बजे वाहन व गोवंश छिनैती कर भाग गये थे। जिस पर दिनांक 15.08.2024 समय 17.15 बजे मु0अ0सं0- 133/24 धारा 221/132/309(4) BNS पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना बलुआ पुलिस व एसओजी टीम द्वारा अथक प्रयास कर दिनांक 18.08.2024 को समय करीब 04.40 बजे मुखबीर की सूचना पर बलुआ तिराहा ग्राम सराय से अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम नि0 अमौली थाना चौबेपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव नि0 पिछवारी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष 3. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव नि0 जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष 4. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता नि0 कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष 5. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष 6. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष को मु0अ0सं0- 133/24 में लूटी गयी पिकअप वाहन सं0- UP65PT3472 व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर वाहन संख्या UP65EN2526 व गो तस्करी में पासर के रूप में प्रयुक्त की जा रही एक स्कार्पियो वाहन सं0- UP65EE8555 व 06 एंड्रायड मोबाइल व 01 कीपैड मोबाइल, 02 एसबीआई एटीएम कार्ड व 01 ग्रीन कार्ड के के साथ गिरफ्तार किया गया उपरोक्त कार्यवाही में पूछताछ से अन्य अभियुक्तगण 1.राम जगी यादव उर्फ जग्गू निवासी ग्राम अडारे थाना चौबेपुर वाराणसी 2. आयुष यादव उर्फ रवी यादव पुत्र पप्पू यादव नि0 ग्राम लखराव थाना चौबेपुर

वाराणसी 3. अनिल यादव नि0 ग्राम ताराजीवन पुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली हालपता छाताविहार व अन्य का नाम भी प्रकाश में आया। तथा अभियुक्तों की संख्या 5 से अधिक होनें व लूटी गई पिकअप वाहन की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) बीएनएस को धारा 310(2) बीएनएस में परिवर्तित करते हुए धारा 61(2)/317 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

विवरण पूछताछ अभियुक्तगणः-दिनांक 14/08/2024 को अभि0 अजीत कुमार के वाहन पर ग्राम मुस्तफाबाद पिछवारी थाना चौबेपुर के अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव ने अपने यहाँ से 06 गोवंश व एक अन्य पिकअप पर 03 राशि गोवंश वध हेतु बिहार ले जाने की बात कहकर गोवंशो को लदवाकर थाना बलुआ क्षेत्र में स्वयं ही अपनी स्कार्पियों गाड़ी से आगे आगे चलकर गोवंश लदी गाड़ी पास कराने तथा दूसरे थाना क्षेत्र में एक अन्य पासर की मदद से आगे आगे चलकर पास कराने की बात कह कर अजीत कुमार से प्रति गाय 6500 रूपये पास करानें का अभिषेक यादव व अन्य पासर पैसा लेकर वाहन संख्या UP65PT3472 पर गोवंश लादकर दिनांक 14.08.24 को अभिषेक यादव गोवंश लदे वाहन को बिहार ले जानें हेतु पास करा रहा था लेकिन गोवंशों को मय पिकअप वाहन के थाना बलुआ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। अभिषेक यादव अपने स्कार्पियों वाहन से मौके से निकलने में सफल रहा। थाना बलुआ में स्थित पपौरा गोशाला में गो वंश ले जानें की बात जानकारी होनें पर अभिषेक यादव व एक अन्य पासर नें रास्ते में ही वाहन को लूटनें की योजना सकलडीहा चौराहे पर बनाई। बनाई गई योजना में 1. विशाल यादव उर्फ अलगु पुत्र दिनेश यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 2. कविशंकर उर्फ बाबू यादव पुत्र महेश प्रसाद यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 3. राम जगी यादव उर्फ जग्गू नि0 अडारे थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 4. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव नि0 जाल्हूपुर थाना चौबेपुर वाराणसी 5. आयुष यादव उर्फ रवि यादव पुत्र पप्पू यादव नि0 लखराव थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 6. अनिल यादव नि0 तारा जीवन पुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली हालपता छाता बिहार 7. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता नि0 कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी 8. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव नि0 ग्राम मुस्तफाबाद पिछवारी थाना चौबेपुर गाजीपुर व वाहन स्वामी अजीत कुमार पुत्र बनारसी राम नि0 अमौली थाना चौबेपुर वाराणसी सम्मलित रहे। योजनानुसार घटना में विशाल यादव अपनें सुपर स्पलेण्डर वाहन से कविशंकर उर्फ बाबू यादव व रामजगी उर्फ जग्गू यादव को अपनें साथ लेकर चहनिया चौराहे पर रेकी करने व उक्त वाहन का पीछा करने के लिए खड़ा था जबकि शेष अन्य शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता निवासी ग्राम कमौली थाना चौबेपुर जनपद गाजीपुर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वाहन स0 UP65EN2526 से सकलडीहा रोड पर पिकअप वाहन का इंतजार करने लगे। चहनियाँ चौराहे से विशाल यादव नें अभिषेक यादव को चहनियाँ से पिकअप को पपौरा की तरफ निकलनें की सूचना देने पर तथा पीछा करते रहने की बात बताने पर डिजायर पर सवार अन्य अभियुक्तगण वाहन को मथेला पुल पर रोक लिये तथा उसमें बैठे 03 गोशाला कर्मचारी व एक पीआरडी के जवान को बलपूर्वक वाहन से उतार दिये व पीआरडी का मोबाईल छीन लिये तथा आयुष उर्फ रवि यादव उपरोक्त पिकप पर बैठकर पिकप को सकलडीहा की तरफ लेकर भाग गया और शेष अभियुक्तगण मथेला पुल से मथेला -भूपौली नहर से लोलपुर जाने वाले रास्ते से होते बलुआ पुल पार करके अपने घर

की तरफ चले आये थोडी देर मे रवि यादव भी पुलिस के पकडे जाने के भय से गोवशों को रस्सी काटकर नीचे उतार दिया तथा पपौरा बाजार से गाडी घूमाकर भूपौली -मथेला नहर से लोलपुर जाने वाले रास्ते से होते बलुआ पुल पार करके लूटी गई पिकअप वाहन ले जाकर सन्दहा मण्डी मे खडी कर दिये। जहाँ से वाहन स्वामी अजीत कुमार अपने पिकअप वाहन संख्या UP65PT3472 को लेकर इटावा चला गया था। लेकिन इटावा में भी ज्यादा दिन तक कहीं पिकप रखने हेतु सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी तो अपने पिकप वाहन उपरोक्त को अपने ससुराल छपरा बिहार में ही रखकर वहीं चलवाने के लिए ले जाना चाहता था लेकिन पुलिस से लूटी हुई वाहन होनें के कारण पुलिस से बचकर अकेला गाडी पास कराकर ले जाना सम्भव नहीं होनें के कारण पासर अभिषेक यादव उर्फ गोलू व अन्य सक्रिय पासर से बात कर आज दिनांक 18.08.2024 को सुबह 04.40 बजे पासर व उसकी टीम के साथ भोर का समय देखकर छपरा बिहार जानें हेतु निकले थे कि पुलिस द्वारा बलुआ तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम नि0 अमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

2. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव नि0 पिछवारी थाना चौबेपुर ज0 वाराणसी

3. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव नि0 जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

4. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता नि0 कमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

5. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

6. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव नि0 शंकरपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. स्कार्पियो-UP65EE8555
2. पिकअप बोलेरो जिसका नम्बर UP65PT3472
3. स्विप्ट डिजायर वाहन स0 UP65EN2526
4. मोबाइल-07
5. नकदी-3160 रूपयें

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

1. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव -

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0- 88/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी

मु0अ0सं0 – 545/23 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी

मु0अ0सं0 – 289/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी

मु0अ0सं0- 97/24 धारा 34, 395 भादवि थाना रामनगर वाराणसी

2.अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम -

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयरनायण यादव -

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव-

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0- 97/24 धारा 34, 395 भादवि थाना रामनगर वाराणसी

5. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता -

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव -

मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. एसओजी प्रभारी आशीष मिश्रा मय टीम

3. व0उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौ0प्र0 मारूफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5. उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6. उ0नि0 जमीलुद्दीन खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

7. का0 रामजी पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली

8. का0 रोहित कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली

9. का0 चन्दन साह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

10. का0 अमरेश सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

11. का0 रमेश चौहान थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में आज दिनांक 18.08.24 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 23 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट-दिनांकः 18.08.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 18.08.2024 को कुल 216 वाहनों का चालान करते हुए 3,09,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2024 को जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 216 वाहनों का चालान करते हुए 3,09,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया

गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार	चालान की संख्या
1	मॉडिफाइड साइलेन्सर- 01	
2	मोबाइल फोन-02	
3	बिना हेलमेट-57	
4	मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-18	
5	नो पार्किंग-39	
6	गलत नम्बर प्लेट-04	
7	लाइसेंस ना होना-19	
8	गलत दिशा -44	
9	बिना शीटबेल्ट-01	
10	बिना फिटनेस-06	
11	बिना बीमा-08	
12	ओवर स्पीड- 01	
13	अन्य-16	

यातायात नियमों के उलंघन में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-216

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-3,09,500/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-18.08.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगामी त्योंहार रक्षाबन्धन के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक- 18.08.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 45 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क पर, कार में, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके और आपकी वजह से दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें जानते सब हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी दिखाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कारवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 18.08.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 45 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।